मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था – एक ऐतिहासिक अध्ययन

अवनीन्द्र कुमार,
शोध छात्र,
विश्वविद्यालय इतिहास विभाग,
बी.आर.ए.बी.यू.,मुजफ्फरपुर, बिहार

अन्तर्राज्यीय राजनीति के क्षेत्र में सभी राज्य सदैव अपनी शक्ति को दूसरे राज्य की तुलना में यथापूर्वक बनाये रखने या फिर बढ़ाने का निरन्तर प्रयास करते है। अतः प्रत्येक राज्य के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह अन्य राज्यों को सहयोग व उनसे सहायता प्राप्त करें। इसके लिए प्रत्येक राज्य प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यक योजना बनाये और अपनी दूतों व गुप्तचरों आदि के माध्यम से उसको सफल बनाने का प्रयास करें।

एक ऐसा ही प्रयास मौर्यकालीन (322–185 ईसा पूर्व) विशाल मौर्य साम्राज्य के शासन संचालन एवं उसकी अभिवृद्धि में गुप्तचरों का भी था। उत्तर में हिमालय और पश्चिम में हिन्दुकुश पर्वत से लेकर समुद्र पर्यन्त सहस्र योजन विस्तीर्ण मगध साम्राज्य के सुशासन के लिए यह आवश्यक था कि अपने अमात्यों, मन्त्रियों, राजकर्मचारियों, पौर–जानपदों और जन–साधारणों आदि पर कड़ी नजर रखा जाए, उनकी गतिविधियों और मनभावों का परिज्ञान प्राप्त करें और अन्त्य और प्रत्यन्त राज्यों के बारे में सभी सूचनाएँ नियमित प्राप्त करते रहे। इसके लिए चन्द्रगुप्त के गुरू सह प्रधानमंत्री आचार्य कौटिल्य ने गुप्तचरों का सफल प्रयोग कर विजिगीषु राजा चन्द्रगुप्त की विजय अभियान का मार्ग प्रशस्त किया। जो चन्द्रगुप्त के परवर्ती मौर्य राजाओं तथा आधुनिक राष्ट्र–राज्यों के लिए भी पथ प्रदर्शक बना रहा।

मौर्यों के अन्तर्राज्यीय सम्बन्धों के निर्धारण में कूटनीति के चार उपायों– **साम, दान, भेद** और **दण्ड** का विशेष महत्त्व रहा है। राज्य की चतुर्दिक् सफलता इसी कूटनीति के महत्व पर आधारित थी, जो वर्तमान परिपेक्ष्य में विदेश नीति के संदर्भ में अत्यन्त ही प्रासंगिक है। कूटनीति उपाय की **भेद नीति** पूरी तरह से गुप्तचरों की सहायता से ही संभव है। जिसकी पुष्टि 'मुद्राराक्षस' नामक नाटक से होती है। मनीषियों एवं कौटलीय अर्थशास्त्र आदि से मौर्य साम्राज्य में गुप्तचरों के अस्तित्व की पुष्टि होती है। इतना ही नहीं इनसे गुप्तचरों के प्रकार एवं उसके कार्यों आदि के बारे में भी जानकारी मिलती है।

एरियन ने गूढ़ पुरूषों (गुप्तचरों) को 'ओवरसियर' नाम से सम्बोधित किया है।[1] उनका कार्य नगर एवं जनपद में क्या हो रहा है उसका निरीक्षण करना था। जिसकी सूचना राजा अथवा मजिस्ट्रेट अथवा सक्षम शासक को देना पड़ता था। एरियन के 'ओवरसियरों' के कार्यों के स्वरूप को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये गुप्तचरों के समान ही थे। स्ट्रैबा ने इन्हें 'इन्सपेक्टर' के नाम से सम्बोधित किया है।[2] जूनागढ़ शिलालेख के 'राष्ट्रीय' और अर्थशास्त्र के 'प्रदेष्टा' या गुढ़पुरूष गुप्तचर के ही पर्याय है। अशोक के छठे अभिलेख में भी हर समय प्रजा के हाल की खबर सुनाने की आज्ञा दी गई है।

ग्रीक राजदूत मेगस्थनीज के यात्रा वृतान्त में ऐसा उल्लेख है कि भारत की सम्पूर्ण आबादी सात जातियों में विभक्त है और छठी जाति के रूप में 'निरीक्षक' लोग है।[3] इनका कार्य यह था कि जो कुछ राज्य में अथवा राज्य के बाहर हो रहा हो उसकी सत्यता की जाँच–पड़ताल कर राजा या अन्य सक्षम राजकीय अधिकारी को इसकी सूचना गुप्त रूप से देते रहें। इनमें से कुछ का कार्य विदेशी राज्यों के भेदों का पता करना था तो कुछ का दुर्गों, नगरों, राजप्रासाद के षड्यंत्रों, अमात्यों, राजकर्मचारियों, कोष तथा सेना आदि पर दृष्टि बनाये रखना था। इस प्रकार मेगस्थनीज के 'निरीक्षक' जाति के लागों के कार्यों के स्वरूप को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये गुप्तचरों के ही समान थे।

रोमिला थापर[4] के अनुसार छठी श्रेणी में वे अधिकारी आते थे जो पार्षदों से भिन्न स्तर के थे। इसको थापर ने कौटिल्य द्वारा उल्लिखित अध्यक्ष के समकक्ष रखा है। चूँकि ये अधिकारी अपने अधीनस्थ विभाग के कुशल संचालन के लिए पूर्णतः उत्तरदायी थे, इसलिये उन्हें अपने कार्यों का विवरण या उससे सम्बन्धित गुप्त सूचना राजा या उच्चाधिकारियों को देना स्वाभाविक ही था। थापर का यह भी कहना है कि गुप्तचरों को कहीं भी एक अलग वर्ग में नहीं रखा गया है क्योंकि वे प्रशासनिक व्यवस्था के ही अंग थे। उनकी नियुक्ति समाज के विभिन्न स्तरों से योग्य व कुशल व्यक्तियों की ली जाती थी। जैसे–अनाथ बच्चे, ब्राह्मण, छात्र, कृषक, व्यापारी, कन्या, दास–दासी, विधवायें, स्त्रियाँ, गणिकाएँ और रूपाजीवाएँ, नर्तक, वादक, गायक, भिक्षु, भिक्षुणियाँ, मूक, बाधिर, जड़, अन्ध, नट, तथा विभिन्न प्रकार के राजकर्मचारी आदि।[5]

भारतीय मनीषियों में कौटिल्य अपने 'अर्थशास्त्र' में 'गूढ़पुरूष नियोग' नामक अध्याय में गुप्तचरों का विशद वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त इसमें अनेंक संदर्भों में भी गुप्तचरों का उल्लेख हुआ है। कौटिल्य ने गुप्तचरों को दो वर्गों में बाँटा है, जिन्हें **संस्था** अर्थात् स्थायी गुप्तचर और **संचार** अर्थात् घुमक्कड़ गुप्तचर कहा जाता था। कौटिल्य इन सभी गुप्तचरों को 'गूढ़पुरूष' के नाम से सम्बोधित किया है। इनके अनुसार **संस्था** पाँच प्रकार (कापटिक–छात्र, उदास्थित, गृहपतिक, वैदेहक तथा तापस) के और **संचार** चार प्रकार (सत्रिन्, तीक्ष्ण, रसद तथा भिक्षुणी या परिब्राजिका) के होते है।[6] वैसे इन संस्था वर्ग के गुप्तचरों को **'पंचसंस्था'** भी कहा जाता था।[7]

संस्था वर्ग के गुप्तचरों में कापटिक–छात्र गुप्तचर दूसरों की मानसिक स्थिति को जानने की योग्यता रखनेवाले होते है। ये राजा अथवा मंत्री, जिनके प्रति वे उत्तरदायी होते थे, उनको सूचना देते थे। **'उदास्थित'** गुप्तचर विधर्मी साधु या संन्यासी के भेष में होते है। ये बुद्धिमता एवं निष्कपटता जैसे गुणों से सम्पन्न होते है। ये यथेष्ट धन एवं शिष्यमंडली के साथ निर्धारित स्थान पर अपना प्रभाव स्थापित करते थे और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर उनके मनोभावों आदि को जानने की कोशिश करते थे। **'गृहपतिक' गुप्तचर** कृषकों के भेष में होते है। इन्हें राज्य की ओर से खेती करने के लिए भूमि आवंटित की जाती थी और कृषकों के रूप में रहते हुए जनता के भेदों का पता करते रहते थे। **'वैदेहक'** गुप्तचर व्यापारियों के भेष में होते है। ये अपने साथी वणिकों से आवश्यक सूचना एकत्रित कर उसे गुप्त रूप से राजा अथवा सम्बन्धित अधिकारियों को पहुँचाते थे। **'तापस'** गुप्तचर मुंडित सिर अथवा जटाजूटधारी तपस्वियों के भेष में होते है। ये नगर के निकट अपने शिष्यों के साथ डेरा डाल कर ठहरते थे। ये मास या दो मास में एक बार अल्प भोजन कर या फिर स्वयं को उपवास रखने का स्वांग रचकर अपनी ईश्वरीय शक्ति का प्रभाव स्थापित करते थे, भविष्यवक्ता होने का दावा करते थे, लोगों को अपना अनुयायी बनाते थे, फिर उनसे भेद पता करते थे।

संचार वर्ग के गुप्तचरों में सत्रि गुप्तचर अनाथ होते है।[8] उनका पालन–पोषण व शिक्षा–दीक्षा राज्य के द्वारा होता था। उन्हें विशेष प्रशिक्षण तथा अनेंकविध विद्याएँ पढ़ायी जाती थी ताकि ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर भेद लेते रहे। **'तीक्ष्ण' श्रेणी के गुप्तचर** शस्त्रप्रणिधि व अग्निप्रणिधि प्रकार के होते है। ये काफी निडर व बलवान होते थे। ये धन लेकर हाथी व हिंसक पशुओं से भी लड़ने में संकोच नहीं करते थे। ये संकेत पाते ही शत्रुओं की हत्या तक कर देते थे। **'रसद' श्रेणी के गुप्तचर** रसप्रणिधि प्रकार के होते है। ये अत्यन्त ही क्रूर होते थे। उनमें दया, प्रेम जैसी कोमल भावनाओं का सर्वथा अभाव होता था। ये शत्रुओं को गुप्त रूप से विष देकर हत्या करते थे। **'भिक्षुणी या परिव्राजिका' गुप्तचर** ऐसी स्त्रियाँ होती थी, जो राजा के अन्तःपुर में जीविकोपार्जन करती थी और ये प्रायः ब्राह्मण वर्ग की दरिद्र विधवाएँ होती थी।[9] अतः अन्तःपुरों में उनका सरलता से प्रवेश हो जाता था। अन्तःपुरों की महिलाओं के भेदों को जानकर राजा के विरूद्ध हो रहे किसी षड्यंत्र अथवा भ्रष्ट राज्याधिकारियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर राजा को सूचित करती थी।

गुप्तचरों के इन दोनों वर्गों (संस्था एवं संचार) में कौन उच्च श्रेणी का था यह उनको मिलने वाले वेतन के आधार पर ही तय किया जा सकता है। अर्थशास्त्र में ऐसा उल्लेख है कि संस्था वर्ग के गुप्तचरों को संचार वर्ग के गुप्तचरों से अधिक वेतन (पारिश्रमिक) मिलता था। अतः संस्था वर्ग के गुप्तचर संचार वर्ग के गुप्तचर से उच्च श्रेणी के थे क्योंकि संस्था वर्ग के गुप्तचर हिंसात्मक कार्य नहीं करते थे जबकि संचार वर्ग के गुप्तचरों को आवश्यकता पड़ने पर हत्या, आगजनी, लूट–पाट जैसे जघन्य कार्य भी करने पड़ते थे। यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाय तो संस्थों को गुप्त सूचना देने वाला और संचारों को 'सेक्रेट एजेण्ट' कहा जा सकता है। वैसे इन संचारों की तुलना स्पार्टा के **'क्रिप्टिया'** नामक गुप्त पुलिस से की जा सकती है और इन 'क्रिप्टियो' को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी और वे किसी भी संदोहास्पद व्यक्ति की हत्या कर सकते थे।

गुप्तचरों में कुछ 'उभयवेतन वर्ग' के गुप्तचर होते है।[10] जो अपने राज्य और परराज्यों दोनों पक्षों से वेतन पाते है। ये गुप्तचर अपने राज्य के लिए नियुक्त होकर स्वयं की पर–राज्य या शत्रु राज्य में भी नियुक्ति प्राप्त कर अपने वास्तविक राजा को गुप्त सूचनाएँ पहुँचाते थे। परन्तु इसमें सदा इस बात की आशंका बनी रहती थी कि कहीं ये दोतरफा गुप्तचरी न करने लगे। इसलिये इन गुप्तचरों के वास्तविक स्वामी इनके परिवार को बन्धक के रूप में रखते थे।

गुप्तचरों की नियुक्ति के संदर्भ में ऐसी मान्यताएँ थी कि जो व्यक्ति अपने राज्य अथवा देश का स्थायी निवासी हो, विश्वासी हो, स्वस्थ हो, शास्त्र का अनुसरण करने वाला हो, सोलह अभिगामिक गुणों, आठ प्रज्ञा गुणों, चार उत्साह गुणों एवं अन्य आत्मसंयत गुणों से विभूषित हो, राज्य एवं पर–राज्य की भौगोलिक स्थिति का ज्ञानी हो, कूटनीतिज्ञ हो, विविध उपधाओं (परखों) द्वारा जिनके शौच (शुचिता) और अशौच (अशुचिता) का पता लगा लिया गया हो, विभिन्न प्रकार का पेशा करने वाला हो।[11]

इन गुप्तचरों को राज्य की तरफ से विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता था। जिसमें भेष व रूप बदलने, संज्ञा लिपि (गुप्त लिपि) का ज्ञान[12], कूटनीतिक लेख लिखने का ज्ञान, अपराधियों को पहचानने की कला, जनता की राय बदलने के लिए प्रेरित अभिभाषण देने की कला, अफवाहे फैलाने की कला, दुश्मनों में झगड़ा लगाने, लोगों को आकर्षित करने, मित्र बनाने, गुप्त चिन्हों व प्रतीकों को पहचानने, विपत्तियों से बचने–बचाने के तरीका, औषधि प्रयोग, विभिन्न भाषाओं को बोलने का तरीका, खान–पान, रहन–सहन, धन प्रयोग, विभिन्न प्रकार का पेशा करने का तरीका आदि का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता था।

इन गुप्तचरों का कार्य क्षेत्र इतना व्यापक था कि शासन का कोई भी क्षेत्र गुप्तचरों की दृष्टि से वंचित न था। ये गुप्तचर अमात्यों व उच्च राज्याधिकारों की नियुक्ति के संदर्भ में पद के उम्मीदवारों की योग्यता की पूरी तरह जाँच करते थे। मंत्री एवं पुरोहित (धर्माधिकारी), समाहर्त्ता[13] (आधुनिक वित्त मंत्री), सन्निधाता (राजकीय कोषाध्यक्ष), सेनापति (सेना का प्रधान), युवराज (राजा का उत्तराधिकारी), प्रदेष्टा (आधुनिक फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश), नायक (युद्ध में सेना का संचालक), कर्मान्तिक (उद्योग विभाग का प्रधान अधिकारी), व्यावहारिक (आधुनिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश), मंत्रिपरिषद्ध्यक्ष (मंत्रियों का अध्यक्ष), दण्डपाल (रसद आपूर्ति सैन्य अधिकारी), अन्तपाल (सीमावर्ती दुर्ग का प्रधान अधिकारी), दुर्गपाल (अन्तर्वर्ती दुर्ग का

प्रधान अधिकारी), नागरक (नगरों या राजधानी का प्रधान अधिकारी), प्रशास्ता (राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी), दौवारिक (राजप्रासाद का सुरक्षा अधिकारी), अन्तर्वशिक (अंगरक्षक सैन्य अधिकारी), तथा आटविक (वन विभाग का प्रधान अधिकारी) आदि सभी महत्त्वपूर्ण राज्याधिकारियों की गतिविधियों पर दृष्टि रखते थे[14] और राजा को उसकी सूचना समय–समय पर दिया करते थे।

ये प्रत्येक परिवार के सम्बन्ध में उनकी जाति, संख्या, व्यवसाय तथा उनके आय के सम्बन्ध में, गाँवों में आनेवाले नवागंतुकों एवं षत्रु के एजेंण्टों के विषय में रिपोर्ट देते थे और अपने देश के अन्दर क्रियाशील विदेशी गुप्तचरों को पकड़वाने में राज्याधिकारियों की मदद करते थे। जिसका स्वरूप वर्त्तमान परिपेक्ष्य में खुफिया विभाग के संदर्भ में देखा जा सकता है।

विभिन्न प्रकार के राजकीय आय के स्रोतों–– दुर्ग, राष्ट्र, खनि, सेतु, वन, ब्रज और वणिक्पथ आदि का लेखा–जोखा, उसकी मात्रा (परिमाण), उसके मूल्य तथा आय आदि के सम्बन्ध में गुप्त जानकारी सम्बन्धित विभाग के उच्चाधिकारियों को देते थे। इसके अतिरिक्त ये नकली सिक्का बनानेवाले, मिलावट करनेवाले, डाकुओं, चोरों, ग्राम, नगर तथा जनपद आदि के निवासियों आदि पर विशेष ध्यान रखते थे।[15]

व्यापारियों के वो में गुप्तचर सीमा पर पहुँचने वाले विदेशी सार्थ (व्यापारियों) के प्रत्येक सदस्यों के बहुमूल्य एवं सस्ते सामानों की मात्रा और उसकी गुणवत्ता आदि की सूचना राजा अर्थात् शुल्काध्यक्ष के पास भेज देते थे।

इतना ही नहीं इन गुप्तचरों का कार्य–क्षेत्र इतना व्यापक था कि विभिन्न राज्याधिकारियों के साथ–साथ राजप्रासाद के षड्यंत्रों, राजा के अंगरक्षकों, राजा की रानियों तथा राजकुमारों आदि पर भी दृष्टि रखना इनका ही कार्य था।[16]

न्यायाधीशों की ईमानदारी की जॉच के लिये गुप्तचरों को यह आदेश दिया जाता था कि वे उन्हें घूस दें और यदि वह घूस को स्वीकार कर ले तो ऐसे न्यायधीश को देश से निष्कासित कर दिया जाता था।

गुप्तचर अपने शिष्यों से विशेष संकेत मिलने पर घटनाओं की भविष्यवाणी करते थे। राजा के प्रति स्वामिभक्तों को धन एवं सुख–सुविधा प्राप्ति का संकेत तथा संदेहास्पद व्यक्तियों को होनेवाली दुर्घटनाओं, लूटपाट, अग्नि कांड, हत्या आदि के प्रति सेचत करते थे। फिर राज्याधिकारी इनके भविष्यवाणियों को कार्यान्वित करते थे।

राजद्रोही मंत्रियों से छुटकारा पाने के लिए गुप्तचर ऐसे मंत्रियों को राजा के विरूद्ध अविवेकपूर्ण कदम उठाने के लिए उकसाते रहते थे ताकि इस अपराध में उसे मौत के घाट उतारा जा सके। इसके अतिरिक्त राजद्रोहियों को किसी घोर अपराध में फँसाकर उनकी सम्पत्ति जब्त कर किया जाता था। वर्त्तमान परिपेक्ष्य में भी आय से अधिक की सम्पत्ति, देश–द्रोहियों की सम्पत्ति और भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्त्यिों आदि की सम्पत्ति सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाता है।

फिर आपातकाल में विशेष धन एकत्रित करने के अवसर पर ये लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिये स्वयं एक बड़ी राशि दान में देकर थोड़ी धन राशि देनेवालों को लज्जित कर उन्हें अधिक धन देने के लिये प्रेरित करते थे। आज भी ऐसे अवसरों पर **प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष** में धन दान देने के लिए लोगों से अपील की जाती है।

गुप्तचरों को पर–राज्यों में भी भेजा जाता था क्योंकि शत्रु, मित्र, मध्यस्थ तथा उदासीन राज्यों के निवासियों, राजाओं तथा उनके अठारह तीर्थों (उच्चाधिकारियों) के कार्यों एवं नीतियों आदि के सम्बन्ध में सूचनायें एकत्रित करना उनका मुख्य कार्य था।[17]

गुप्तचरों का यह भी कार्य था कि युद्ध के पूर्व तथा युद्ध के समय ये सेना का उत्साहवर्धन करें। इसके लिए ये शत्रु शिविर में आग लगाना, उन्हें गलत सूचना देकर गुमराह करना जैसा कार्य करते थे।[18]

इनकी उपयोगिता युद्धकाल में तो थी ही शान्तिकाल में भी होती थी क्योंकि ये राजा को अन्त्य–प्रत्यन्त राज्यों के कपटप्रबन्धों से अवगत कराते रहते थे। ताकि राजनीतिक शतरंज की बिसात पर दूतों के माध्यम से उनकी अगली चाल क्या होगी उसका अनुमान करने में सहायता मिल सके।

वर्त्तमान संदर्भ में भी युद्ध काल के समय राजनयिकों का स्वरूप एक गुप्तचर एवं षड्यन्त्रकारी की भॉति हो जाता है। कहा जाता है कि अमरीकी कूटनीति का यह एक अभिन्न अंग बन गया है क्योंकि अमरीका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विश्व के प्रायः हर युद्ध में सम्मिलित रहता है। जिसकी झलक अमरीकी गुप्तचर संस्था सी.आई.ए. की गतिविधियों से मिलती है। बी. चेर्नयावस्की ने अपनी सम्पादित **'सी.आई.ए. बेनकाब'** में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि विकासशील राष्ट्रों में सी.आई.ए. की गतिविधियाँ प्रच्छन्न रूप से बहुत तेज हैं तथा अमेरीकी दूतावास इसमें पूरी सहायता करते हैं।[19]

इस प्रकार मौर्य राज्य का शासन व्यवस्था एवं अन्तर्राज्यीय राजनीति के कुशल संचालन में गुप्तचर व्यवस्था की जो रूप–रेखा प्राचीन मनीषियों में अग्रगण्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में प्रस्तुत की है वह अत्यन्त ही उच्च कोटि की है। जिसकी प्रासंगिकता वर्त्तमान परिपेक्ष्य में आज भी बनी हुई है। राज्य व अन्तर्राज्यीय राजनीति के संचालन के लिए गुप्तचरों की नियुक्ति इतना आवश्यक हो गया है कि लगभग प्रत्येक विकसित व विकाशील राज्य एक–दूसरे के राज्य में स्थायी व अस्थायी रूप से कर रहे है, जिनका उस राज्य से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध होता है। यद्यपि आज परिस्थितियाँ भिन्न है, और इस क्षेत्र में उपग्रहों का महत्त्व काफी बढ़ गया है, रॉ एवं आईबी– **भारत**, आईएसआई– **पाकिस्तान**, एमएसएस– **चीन**, एफएसबी– **रूस**, डीएसई– **फ्रांस**, बीएनडी– **जर्मनी**, नाईचो– **जापान**, एमआई 6– **ब्रिटेन**, सीआईए– **अमेरिका** आदि एजेंसियों ने इन गुप्तचरों के

स्वरूपों का स्थान ले लिया है, फिर भी अपना प्रभुत्त्व व वर्चस्व स्थापित करने के लिए आधुनिक राज्य की जासूसी प्रवृतियाँ तत्कालीन मनीषियों की सार्थकता को प्रमाणित करती है एवं व्यावाहारिक सम्बन्धों का मार्ग–दर्शन करती है।

संदर्भ सूची–

1. चौधरी, राधाकृष्ण, प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, भारती भवन, परिवर्द्धित सप्तम संस्करण 1989, पुनः मुद्रण 2011,पृ. 153; मिक्रिंडल, जे. डब्लू., एन्सिएन्ट इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड वाई मेगास्थनीज एण्ड एरियन, कलकत्ता, 1960, पृ. 41
2. मजुमदार, आर.सी., द क्लासिकल एकाउन्ट्स ऑफ इंडिया, कलकत्ता, 1960 पृ. 268
3. मिक्रिन्डल, जे.डब्लू., पूर्वोक्त, 1960, पृ. 217–18; झा, द्विजेन्द्र नारायण एवं श्रीमाली, कृष्णमोहन, प्राचीन भारत का इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 44 वॉ पूनर्मुद्रण जनवरी 2017, पृ.200; चौधरी, राधाकृष्ण, पूर्वोक्त, पृ.160; विद्यालंकार, सत्यकेतु, मौर्य साम्राज्य का इतिहास, श्री सरस्वती सदन, नई दिल्ली, सन् 2010, पृ.385–86
4. थापर, रोमिला, अशोक तथा मौर्य साम्राज्य का पतन, पृ.120; गांगुली, डी. के., एस्पेक्ट्स ऑफ एन्सिएन्ट इण्डियन एडमिनिस्ट्रेशन, पृ. 284
5. थापर, रोमिला, उपरोक्त, पृ. 120; विद्यालंकार, सत्यकेतु, पूर्वोक्त, पृ.195–97
6. उपाधाभि : शुद्धामात्यवर्गो गूढपुरूषानुत्पादयेत्। कापटिकोदास्थितगृहपतिक वैदेहकतापसव्य×जनान् सत्रितीक्ष्णरसदभिक्षुकीश्च। योगी, श्री भारतीय, कौटिल्य अर्थशास्त्र, प्रथम संस्करण 1973, संस्कृत संस्थान, वेद नगर, बरेली,1/11, पृ. 42–44, 1/12, पृ.45–46
7. पूजिताश्चार्थमानाभ्यां राज्ञा राजोपजीविनाम्। जानीयुः शौचमित्येताः प×चसंस्थाः प्रकीर्तिताः।। कौ. अर्थशास्त्र 1/11 ; विद्यालंकार, सत्यकेतु, पूर्वोक्त, पृ.196
8. ये चाप्यसम्बन्धिनोऽवश्यं भर्तव्यास्ते लक्षणमङ्गविद्यां जम्भकविद्यां मायागतमाश्रमधर्म निमित्तमन्तरचक्रमित्यधीयानाः सत्रिणः संसर्गविद्या वा। कौ. अर्थ., 1/12, पृ. 45
9. परिव्राजिका वृतिकामा दरिद्रा विधवा प्रगल्भा ब्राह्मण्तःपुरे कृतसत्कारा महामात्रकुलान्यधिगच्छेत्। कौ. अर्थ. 1/12, पृ. 46
10. कण्टक शोधनोक्ताश्चापसर्पाः परेषु कृतवेतना वसेयुः सम्पातनिश्चारार्थम्। परेषु.....त उभयवेतनाः। गृहीतपुत्रदारांश्च कुर्यादुभयवेतमान। ताँश्चारिप्रहितान्विद्यात्तेषां शौचं च तद्विधैः। कौ. अर्थ. 1/12, पृ. 48
11. प्रवज्याप्रत्यवसितः प्रज्ञाशौचयुक्त उदास्थितः। कर्षको वृतिक्षीणः प्रज्ञाशौचयुक्तो गृहपतिकव्य×जनः। लक्षणमङ्गविद्या जम्भकविद्यां मायागतमाश्रमधर्म निमित्तमन्तरच□ मित्यधीयानाः सत्रिणः संसर्गविद्या वा। वाग्मी प्रगल्भः प्रतिपत्तिमानुत्साहप्रभावयुक्तः कलेशसहः शुचिमैत्रो दृढ़भक्तिः शीलबलारोग्यसत्त्वसंयुक्तः गूढ़पुरूषः। कौ. अर्थ. 1/11, पृ. 43, 1/12, पृ. 45, उपधाभिः शुद्धोऽमात्यवर्गो गूढ़पुरूवानुत्पादयेत्। कौ. अर्थ. 1/11, पृ. 42
12. संज्ञालिपिमिश्चारसंचार कुर्युः। कौ. अर्थ. 1/12, पृ. 47
13. शर्मा, रामशरण, प्रारंभिक भारत का परिचय, ओरियंट ब्लैक स्वॉन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, पुनर्मुद्रित 2018, पृ. 183
14. तान् राजा स्वविषये मंत्रिपुरोहितसेनापतियुवराजदौवारिकान्तर्वशिक.... भक्तितः सामर्थ्ययो–गाच्चापसर्पयेत्। कौ. अर्थ., 1/12, पृ. 46
15. कौ. अर्थ., 2/21, पृ. 207, 2/35, पृ. 260, 4/4, पृ. 374–376
16. रक्षितो राजा राज्यं रक्षत्यासन्नेभ्यः भरेभ्यश्च। पूर्व दारेभ्यः पुत्रेभ्यश्च। दाररक्षणं निशान्तप्रणिथौ वक्ष्यामः। कौ. अर्थ. 1/17, पृ. 67
17. एवं शत्रौ च मित्रे च मध्यमे चावपेच्चरान्।
उदासीने च तेषां च तीर्थेष्वष्टादशस्वपि। कौ. अर्थ. 1/2, पृ. 48
18. कौ. अर्थ., 13/3
19. शुक्ल, डॉ. राजेश, प्राचीन भारतीय अन्तर्राज्यीय सम्बन्धों में कूटनीति, वातायन पब्लिशिंग, पटना, प्रथम संस्करण 2005, पृ.146; देखें– सी.आई.ए. बेनकाब, सम्पादक–वी. चेर्नयावस्की, हिन्दी अनुवाद – गुरू प्रसाद.